न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.
प्रकरण सं. 08 / 2013
अनवान –
1 मु0 सरजीत कौर धर्मपत्नि स्व0 हमीरसिंह (मृतक) कायम मुकाम
1/1 महेन्द्र कौर पुत्री हमीर सिंह जटसिख निवासी जण्डवाली तह0 हनुमानगढ
1/2 बुटासिंह पुत्र हमीर सिंह जटसिख निवासी जण्डवाली तह0 हनुमानगढ

प्रार्थीगण

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार टिब्बी

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र शर्त सं0 07 व 09 गैरदाखिलकारी शर्तें 1970

उपस्थित:–
1. श्री राकेश दर्गन, अभिभाषक प्रार्थीयान
2. श्री शिवराज सिंह बराड़, राजकीय अभिभाषक।

:–निर्णय:–

दिनांक:–07.06.2024

प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन (पैन्तालिसा क्षेत्र में गैर दाखिलकारों को भूमि आवंटन) शर्तें 1970 की शर्त सं0 07 व 9 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया सरजीत कौर के ससुर वरयामसिंह के नाम से मौजा सिलवाला खुर्द के ख0न0 7/4 मि0 10.00 बीघा, ख0न0 13 की 14.08 बीघा तथा ख0न0 16 की 4.0 बीघा इस प्रकार 28.08 बीघा भूमि गैरदाखिलकारी की थी, इस भूमि में से 19.00 बीघा भूमि का आंवटन श्रीमान जिला कलक्टर महो0 श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.03.73 से हो चुका है जिसकी संनद खातेदारी भी जारी हो चुकी है, परन्तु वर्तमान चक 10 एसएलडब्ल्यू के प0न0 202/317(27) कि0नं0 15 जो कि शुरू से गैरदाखिलकारी का है और कब्जा भी रहा है, इसका पुख्ता आवंटन नहीं हुआ। जबकि प्रार्थीया पुख्ता आवंटन कराने की अधिकारिणी है। जमाबंदी संवत 2012 से 15 के अनुसार तथा गिरदावरी संवत 2012–16 के अनुसार यह रकबा गैर दाखिलकारी का है, लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग ने इस रकबा को गैरदाखिलकार की बजाय गैरखातेदार अंकित कर दिया, जबकि उनका क्षेत्राधिकार नहीं था। प्रार्थीया अनपढ व ग्रामीण परिवेश की महिला है उसे हमेशा से विश्वास रहा है कि समस्त रकबा आंवटन हो चुका है। अब पटवारी हल्का से ज्ञात हुआ कि उक्त कि0न0 15 अभी पुख्ता आंवटन नहीं हुआ है। इस रकबा को पुख्ता आवंटन कराने के लिए उक्त शर्तों की शर्त सं0 6(2) के तहत कभी नोटिस नहीं मिला, इसलिए ज्ञान के आधार पर प्रार्थना पत्र अंदर मियाद है। प्रार्थीया की भूमि सीलिंग से प्रभावित नहीं है, इसलिए शर्त सं0 9(ग) के अंतर्गत [illegible] कराने की पात्रता रखती है। अतः उक्त कि0नं0 15 पुख्ता आवंटन किया जावे। [illegible] के ताईद में शपथपत्र, नकल पर्चा खतौनी चक 10 एसएलडब्ल्यू [illegible] नकल गिरदावरी संवत 2010 से 2016, नकल जमाबंदी संवत 2068 से 2071, [illegible] सनद खातेदारी सं0 4[illegible] की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.06.07 17:36:03 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार टिब्बी से रिपोर्ट तथा प्रश्नोतरी मंगाई गई, जो कि पत्रांक 999 दिनांक 18.03.2014 से प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रिपोर्ट तहसील द्वारा उक्त रकबा गैरखातेदारी दर्ज होना बताया तथा कब्जा काश्त प्रार्थीया का होना अंकित किया और राजस्व रिकार्ड के अनुसार इस रकबे पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन या विवाद नहीं होना

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

अंकित किया गया। प्रश्नोतरी में संवत 2011 से 2016 तक प्रश्नगत भूमि पर काश्त वरयामसिंह (ससुर प्रार्थीया) की अंकित की, इसके पश्चात 2036 से 2071 तक काश्त प्रार्थीया के परिवार की अंकित की गई।

इस प्रकरण के विचाराधीन अवस्था में प्रार्थीया सरजीतकौर का निधन हो जाने पर उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। प्रार्थी पक्ष की ओर से तहरीरी साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र बूटासिंह बाबत सीलिंग, पर्चा खतौनी की प्रमाणित नकल चक 10 एसएलडब्ल्यू, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2012–15 खतौनी सं0 246,247,203 प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी संवत 2014–16 खाता सं0 47,63,78,79,156,158 पेश की गई।

उभय पक्ष को सुना गया। प्रार्थी पक्ष के अभिभाषक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा लिखित बहस के अनुसार निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत 2012 से 15 बतौर गैरदाखिलकार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक खसरा गिरदावरी संवत 2016 प्रार्थी पक्ष की काश्त दर्ज है। इन्होने हमारा ध्यान उक्त जमाबंदी तथा गिरदावरी की ओर आकर्षित कराते हुए यह भी कथन किया कि उक्त कब्जा काश्त तथा स्वामित्व की पुष्टि तहसील रिपोर्ट से होती है। यह रकबा शुरू से निर्विवादित रकबा रहा है। यह भूमि गैरदाखिलकारी की है, जिसे भू–प्रबंध विभाग ने जमाबंदी तैयार करते समय गैरखातेदार दर्ज कर दिया, जबकि राजस्व रिकार्ड को परिवर्तन करने की शक्तियां उनको नहीं थी, इस दिशा में इन्होने हमारा ध्यान आरआडी 1994 पृष्ठ सं0 204 की ओर आकर्षित कराया। प्रार्थना पत्र ज्ञान के आधार पर अंदर मियाद बताया और शर्त सं0 6(2) का नोटिस नही मिलना बताया। सीलिंग के संबंध में इन्होने बूटासिंह के शपथ पत्र दिनांक 10.07.2018 की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कथन किया कि प्रार्थी पक्ष की पात्रता 9(ग) के अंतर्गत सिद्व होती है। अतः राजकीय रेट पर उक्त भूमि का आवंटन किया जावे।

बहस का उतर देते हुए राजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि भूमि गैर दाखिलकारी साबित नहीं है, राजस्व रिकार्ड के अनुसार गैर खातेदारी दर्ज है। अपीलांट द्वारा केवल मौखिक कथन किया है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से गैर दाखिलकारी के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज कर दिया, सबूत के अभाव में मानने योग्य नहीं है तथा राजस्व उपनिवेशन (पैतालिसा क्षेत्र में गैर दाखिलकार अभिधारियों को सरकारी भूमि का आवंटन) शर्ते, 1970 के तहत आवंटन योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया किः–

1. पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2068–71 ग्राम 10 एसएलडब्ल्यू तह0 टिब्बी के खाता सं0 165 पर किला नं0 15 सरजीत कौर पत्नी हमीर सिंह कौम जटसिख साकिन सिलवाला खुर्द गैर खातेदार ईन्तकाल नं0 492 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के मद सं0 04 में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थीया की भूमि पत्थर नं0 202/317 (27) किला नं0 15 को गैर दाखिलकार के स्थान पर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गैर खातेदार दर्ज किया जाना अंकित किया है, लेकिन भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कब व किस प्रकार उक्त ... किये?, इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। मेरी विनम्र राय में ... प्रार्थीया का कथन मानने योग्य नहीं है, दस्तावेज संलग्न ... राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी है और वह भूमि राजस्व उपनिवेशन (पैतालिसा क्षेत्र में गैर दाखिलकार अभिधारियों को सरकारी भूमि का आवंटन) शर्ते, 1970 के तहत आवंटन योग्य नहीं है।
2. यदि ये मान भी लिया जाये कि प्रश्नगत भूमि को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गैर दाखिलकारी के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज कर दिया तो भी इस न्यायालय को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती का क्षेत्राधिकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.06.07 17:36:03 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

3. प्रार्थीया चाहे तो राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु सक्षम स्तर पर चाराजोही कर आनुतोष प्राप्त कर सकती है।

4. प्रार्थीया के नाम गैर दाखिलकारी में दर्ज भूमि 28 बीघा 8 बिस्वा में से किला नं0 15 ही आवंटन से शेष क्यों रहा, क्या भूमि सीलिंग प्रभावी थी या नहीं? इस संबंध मे पत्रावली में कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया। ना ही जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के द्वारा जारी आंवटन आदेश 27.03.1973 की प्रमाणित प्रति पेश की जिससे ये स्पष्ट हो कि किला नं0 15 का पुख्ता आवंटन आंवटी को क्यों नहीं किया।

उक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्व उपनिवेशन (पैतालिसा क्षेत्र में गैर दाखिलकार अभिधारियों को सरकारी भूमि का आवंटन) शर्ते, 1970 खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

7/6/2024

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.06.07 17:36:03 IST
Reason: SelfAttested